भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1592

दिनांक 2 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए

बाल देखभाल गृहों की निगरानी के लिए एमएएसआई पोर्टल

1592. श्री कार्तिकेय शर्मा:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बाल देखभाल गृहों की निगरानी के लिए वास्तविक समय पोर्टल के उपयोग की स्थिति क्या है और यह अवसंरचनात्मक खामियों के मामले में बजटीय परिवर्तनों को कैसे सूचित करेगा;

(ख) मॉनीटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन (एमएएसआई) पोर्टल की जानकारी और बाल देखभाल गृहों में अवसंरचनात्मक खामियों का पता लगाने में इसकी भूमिका का ब्यौरा क्या है और बजटीय सिफारिशें तैयार करके लिए एमएएसआई प्लेटफार्म पर एकत्रित जानकारी का उपयोग किस तरह किया जाएगा; और

(ग) मंत्रालय, बाल देखभाल गृहों में बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के लिए स्थान की उपयुक्तता का निर्धारण कैसे करता है, यदि मौजूदा सुविधाएं आवश्यक मानकों को पूरा नहीं करती हैं अथवा यदि किसी जिले में कोई बाल गृह नहीं है तो उस स्थिति में क्या कदम उठाए जाएंगे?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) और (ख): राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने देश भर में बाल देखरेख संस्थाओं (सीसीआई) और उनके निरीक्षण तंत्र की वास्तविक समय निगरानी के लिए निर्बाध निरीक्षण हेतु एक एप्लीकेशन 'मासी' (एमएएसआई) - मॉनीटरिंग ऐप विकसित किया है। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (2021 में संशोधित) के तहत उपबंधित सीसीआई के निरीक्षण के लिए तंत्र का प्रभावी और कुशल कामकाज और तंत्र की समकालिक निगरानी इस व्यापक अनुप्रयोग को विकसित करने के पीछे का औचित्य है। यह ऐप निगरानी पोर्टल से जुड़ा हुआ है जहां स्वचालित रिपोर्ट उत्पन्न होती है। 'मासी', किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत यथानिर्धारित बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी), राज्य निरीक्षण समितियों, जिला निरीक्षण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों (जेजेबी) और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों (एससीपीसीआर) के सदस्यों द्वारा एकीकृत निरीक्षण को सक्षम बनाता है। यह उपर्युक्त किन्हीं भी प्राधिकरणों द्वारा देश भर के सभी सीसीआई के निरीक्षण के लिए एक एकल मंच के रूप में कार्य करता है। निरीक्षण के चक्र के पूरा होने से पहले और बाद में

नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। जैसे ही प्रश्नावली भरी जाती है और प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत की जाती है, पूरी रिपोर्ट स्वचालित रूप से पोर्टल पर उत्पन्न हो जाती है। 24.07.2023 तक 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मासी पोर्टल पर 4268 निरीक्षण पूरे कर लिए गए हैं।

(ग) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 देखभाल एवं संरक्षण के लिए जरूरतमंद बच्चों की देखभाल, संरक्षण, उपचार, विकास एवं पुनर्वास के मामलों का निपटान करने तथा उनकी मूलभूत आवश्यकताओं और मानवाधिकारों के संरक्षण का प्रावधान करने के लिए प्रत्येक जिले में प्राधिकरण के रूप में कम से कम एक बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) की स्थापना करना अनिवार्य बनाता है। सीडब्ल्यूसी की संरचना और कार्यप्रणाली, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 और उसके नियमों के अनुरूप है। मिशन वात्सल्य स्कीम प्रत्येक जिले में सीडब्ल्यूसी की स्थापना को सुगम बनाने और उनके प्रभावी कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बुनियादी ढांचा और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सीडब्ल्यूसी समय-समय पर यथा-संशोधित किशोर न्याय अधिनियम, 2015 नियमों में यथा-निर्धारित कार्यों और भूमिकाओं का निष्पादन करता है।

मिशन वात्सल्य योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बाल गृह/वात्सल्य सदन (जेजे अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए एकल परिसर के भीतर जेजेबी और सीडब्ल्यूसी के कार्यालयों के साथ-साथ सीसीआई (बाल गृह, अवलोकन गृह, विशेष गृह, सुरक्षा का स्थान) का एक एकीकृत गृह परिसर) में सीडब्ल्यूसी के लिए 300 वर्ग फुट के दो कमरों की स्थापना के लिए 9,25,800/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसके प्रयोजनार्थ विनिर्माण हेतु अनुदान इस स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत किए जाते हैं। जहां मौजूदा बाल गृहों में परिसर के भीतर ही अपेक्षित स्थान उपलब्ध होता है, वहां इसे सीडब्ल्यूसी को प्रदान किया जाता है। तथापि, जिन जिलों में कोई बाल गृह नहीं है अथवा मौजूदा बाल गृह में सीडब्लूसी के लिए कोई स्थान नहीं है, वहां सीडब्लूसी के लिए उपयुक्त परिसर किराए पर लेने के लिए मिशन वात्सल्य स्कीम के अंतर्गत निधियां प्रदान की जाती हैं। सीडब्ल्यूसी एक कमरे में अपनी बैठकें आयोजित करता है जबकि दूसरे कमरे का उपयोग बच्चों और उनके परिवारों के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र के रूप में किया जाता है।

*****